

**रामेश्वर प्रसाद**

बनाम

**बिहार राज्य और अन्य**

31 अगस्त, 1979

[एस. मुर्तजा फजल अली, पी. एस. कैलासम और ए. पी. सेन, जे. जे.]

अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति के लिए अधिक्रमण-  
भारत के संविधान, अनुच्छेद 14 और 16 के तहत चुनौती- कब उत्पन्न हो  
सकती है।

दुर्भावना- याचिका में दुर्भावना का जो अभिवचन नहीं किया गया या  
दिया गया है उस पर बहस होने पर ध्यान नहीं दिया जा सकता।

याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी जिसमें  
अन्य उप-न्यायाधीशों को अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नत  
करके उनकी जगह लेने की सिफारिश की गई थी और सरकार द्वारा इसकी  
स्वीकृति भी, इस आधार पर कि उनका न्यायिक करियर बिना किसी दोष  
के था। इसलिए, विवादित आदेश संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का  
उल्लंघन थे और उच्च न्यायालय की सिफारिश में द्वेष का रंग था।

अपील को खारिज करते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

1. अनुच्छेद 16 की अपेक्षा यह है कि समान स्थिति वाले और पदोन्नति के योग्य कर्मचारियों के मामले पर दूसरों को पदोन्नत करने से पहले विचार किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता को यह स्थापित करना होगा कि उसके मामले पर विचार ही नहीं किया गया और उससे कनिष्ठ व्यक्तियों को बिना किसी कारण के पदोन्नत कर दिया गया। [457 डी-ई]

इस मामले में, अनुच्छेद 16 का उल्लंघन नहीं हुआ है क्योंकि पदोन्नति के लिए उनके मामले पर उच्च न्यायालय और सरकार द्वारा पूरी तरह से विचार किया गया था और फिर उन्हें पदोन्नति न देने का निर्णय लिया गया था। किसी भी कीमत पर, चूंकि उच्च न्यायालय अपने अधिकारियों के प्रदर्शन का सबसे अच्छा न्यायाधीश है और यदि उच्च न्यायालय याचिकाकर्ता के पिछले रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए उसकी उपयुक्तता के बारे में संतुष्ट नहीं है, तो पदोन्नति के लिए अनुच्छेद 16 लागू नहीं होता है और इसलिए यह न्यायालय इस स्तर पर हस्तक्षेप नहीं करेगा। [457 बी-सी, 458 ए-बी]

(बी) याचिकाकर्ता और अन्य उप-न्यायाधीश समान योग्यता वाले नहीं हैं, इसलिए संविधान के अनुच्छेद 14 के भेदभाव या उल्लंघन का सवाल भी नहीं उठता है। [457 एच, 458 एबी]

सर्वोच्च न्यायालय द्वेष के आरोप को एक तर्क के रूप में नहीं ले सकता जबकि ऐसी कोई दलील याचिका में नहीं ली गई है या याचिका के समर्थन में दायर हलफनामे में साबित नहीं की गई है। [458 बी]

मूल क्षेत्राधिकार: रिट याचिका संख्या 4313/1978।

संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत।

याचिकाकर्ता की ओर से सरजू प्रसाद, (डॉ.) वाई.एस. चितले और एम. एल. वर्मा।

प्रत्यर्थी संख्या 1 के लिए यू. पी. सिंह और एस. एन. झा।

प्रत्यर्थी संख्या 2 के लिए एस. वी. गुप्ते और बी. पी. सिंह।

न्यायालय का फैसला **फ़ज़ल अली, जे.** द्वारा सुनाया गया।

अनुच्छेद 32 के तहत यह याचिका बिहार के राज्यपाल के उस आदेश के खिलाफ दायर की गई है जिसमें उच्च न्यायालय की सिफारिशों को स्वीकार किया गया था और अन्य अधीनस्थ न्यायाधीशों को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करके याचिकाकर्ता रामेश्वर प्रसाद को हटा दिया गया था। याचिकाकर्ता के समर्थन में उपस्थित श्री सरजू प्रसाद ने मुख्य रूप से दो बिंदु हमारे सामने रखे। सबसे पहले यह तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता का न्यायिक कैरियर बिना किसी दोष के था और जब उच्च न्यायालय ने अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए

उप-न्यायाधीशों की पदोन्नति के मामले की सिफारिश की तो उनके खिलाफ कुछ भी नहीं था जो उनके अधिक्रमण को उचित ठहराए और इसलिए आक्षेपित आदेश संविधान के अनुच्छेद 16 का उल्लंघन है। हालाँकि, यह दिखाने के लिए अभिलेख पर प्रचुर सामग्री है कि याचिकाकर्ता के मामले पर उच्च न्यायालय द्वारा पूरी तरह से विचार किया गया था और उसे उच्च न्यायालय द्वारा पदोन्नति के लिए उपयुक्त नहीं माना गया था, इसलिए उसके मामले को अतिरिक्त ज़िला न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति के लिए अनुशंसित नहीं किया गया था। मामले के इस दृष्टिकोण से यह स्पष्ट है कि अनुच्छेद 16 का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है क्योंकि याचिकाकर्ता के पदोन्नति के मामले पर उच्च न्यायालय और सरकार द्वारा पूरी तरह से विचार किया गया था और फिर उसे पदोन्नत नहीं करने का निर्णय लिया गया था। अनुच्छेद 16 की अपेक्षा यह है कि समान स्थिति वाले और पदोन्नति के योग्य कर्मचारियों के मामले पर दूसरों को पदोन्नत करने से पहले विचार किया जाना चाहिए। यदि यह स्थापित हो जाए कि याचिकाकर्ता के मामले पर विचार ही नहीं किया गया और उससे कनिष्ठ व्यक्तियों को बिना किसी कारण के पदोन्नत कर दिया गया, तो याचिकाकर्ता के मामले के समर्थन में कुछ कहा जा सकता है। उच्च न्यायालय में दाखिल हलफनामे से लगेगा कि सरकार ने याचिकाकर्ता के मामले पर विचार किया। उच्च न्यायालय द्वारा दायर हलफनामे के पैरा 14 में कहा गया है:

"यह कहना गलत है कि दूसरा प्रस्ताव भेजने में किसी भी सामान्य प्रथा से कोई विचलन था, हालांकि पहले प्रस्ताव पर अंतिम आदेश राज्य सरकार द्वारा पारित नहीं किए गए थे। विशेष रूप से इस संदर्भ में कि दूसरा प्रस्ताव भेजने के समय यह प्रत्यर्थी एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचा था कि याचिकाकर्ता का कार्य और आचरण ऐसा था कि उसे पदोन्नति के लिए अनुशंसित नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि उसने अपने आचरण में सुधार नहीं दिखाया।"

इसके अलावा अनुलग्नक 1 के पृष्ठ 85 पर यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि न्यायालय ने संबंधित अपीलकर्ता श्री रामेश्वर प्रसाद के मामले पर विचार करने के बाद अन्य उप-न्यायाधीशों के मामले की सिफारिश की है। यह भी स्थापित है कि सरकार उच्च न्यायालय की सिफारिश से सहमत है। हालांकि श्री प्रसाद ने कहा कि याचिकाकर्ता का करियर बेदाग रहा है, लेकिन रिकॉर्ड पर यह दिखाने के लिए पर्याप्त सामग्रियाँ हैं कि यह सही नहीं है। इस प्रकार याचिकाकर्ता और अन्य उप-न्यायाधीश समान योग्यता वाले नहीं हैं, इसलिए भेदभाव या संविधान के अनुच्छेद 14 के उल्लंघन का सवाल भी नहीं उठता। किसी भी कीमत पर, चूंकि उच्च न्यायालय अपने अधिकारियों के प्रदर्शन का सबसे अच्छा न्यायाधीश है और यदि उच्च न्यायालय याचिकाकर्ता की पदोन्नति के लिए

उसके पिछले रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए उसकी उपयुक्तता के बारे में संतुष्ट नहीं है, तो अनुच्छेद 16 लागू नहीं होता है और इसलिए, यह न्यायालय इस स्तर पर हस्तक्षेप नहीं करेगा। दूसरा, यह हल्के-फुल्के ढंग से सुझाया गया कि उच्च न्यायालय की सिफारिश में द्वेष का भाव था लेकिन याचिका में ऐसी कोई स्पष्ट दलील नहीं दी गई है या याचिकाकर्ता द्वारा दायर हलफनामे में इसे साबित नहीं किया गया है। ऐसे में हम इस तरह के आरोप पर कोई संज्ञान नहीं ले सकते। इन कारणों से, हमें इस याचिका में कोई गुणागुण नहीं मिलता। हालाँकि, हम यह देखना चाहेंगे कि उच्च न्यायालय की स्वयं की राय थी कि यदि याचिकाकर्ता अपनी योग्यता और क्षमता में सुधार करता है, तो उसे पदोन्नति के लिए विचार किया जा सकता है और इस उद्देश्य के लिए एक रिक्ति आरक्षित रखी गई थी। हालाँकि यह रिक्ति भर दी गई है, फिर भी यदि भविष्य में कोई रिक्ति होती है, तो उच्च न्यायालय पदोन्नति के लिए उसके मामले पर विचार कर सकता है, यदि वह सुधार और प्रगति दिखाता है।

तदनुसार आवेदन खारिज किया जाता है। लागत के रूप में कोई आदेश नहीं किया जाता है।

एस.आर.

याचिका खारिज की जाती है।

[यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक, राहुल कुमार द्वारा किया गया है।]

**अस्वीकरण :** यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।